

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ4(3)(1)न.पा./रा.नि.आ./09/1347

दिनांक : 18/4/19

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(नगरपालिका)(कलक्टर) राजस्थान।

विषय :- नगरपालिका निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

नगरपालिका निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 27 में प्रावधान वर्णित है, जो निम्नानुसार है:-

“Subject to any general or special directions of the State Election Commission, the District Municipal Election Officer shall select for each ward as many polling stations as he deems necessary and shall publish a list of polling stations so selected and the respective polling areas covered by them.”

उक्त प्रावधानों के अनुसार जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग के सामान्य या विशेष दिशा-निर्देशों के अधीन प्रत्येक वार्ड के लिए आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्रों का चयन कर सकेंगे एवं चयनित मतदान केन्द्रों तथा उनमें समाविष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की सूची प्रकाशित करेंगे।

आयोग मतदान केन्द्र स्थापित करने के संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिकमित करते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी करता है :-

1. मतदान केन्द्र का चयन करते समय यह ध्यान रखा जाए कि मतदान केन्द्र यथा सम्भव उसी वार्ड में स्थापित किया जाए। अन्य वार्ड में मतदान केन्द्र स्थापित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि यदि उस वार्ड में किसी ऐसे राजकीय अथवा निजी भवन का निर्माण हो गये हो, जो मतदान केन्द्र के लिए उपयुक्त हो, तो उस वार्ड के लिए मतदान केन्द्र उसी भवन में स्थापित किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि यदि किसी मतदान केन्द्र के संबंध में पिछले आमचुनाव/उपचुनाव में कोई शिकायत प्राप्त हुई हो या निर्वाचन अधिकारियों के ध्यान में कोई कमी आई हो, तो अब मतदान केन्द्र के चयन करते समय उसे भी ध्यान में रखा जावे।
2. चूंकि निर्वाचक नामावली में मतदान केन्द्रों का नाम भी अंकित होगा, अतः मतदान केन्द्रों का चयन निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन से पूर्व ही कर लिया जावे।
3. निर्वाचक नामावली वार्डवार तैयार की जाएगी, जिसे आवश्यकतानुसार सुविधाजनक भागों में विभक्त किया जा सकेगा। इस प्रकार विभक्त प्रत्येक भाग एवं उस हेतु स्थापित मतदान केन्द्र का क्रमांक-1 से प्रारम्भ होगा।

20.4

4. निर्वाचक नामावली के प्रत्येक भाग के लिये पृथक-पृथक मतदान केन्द्र स्थापित किए जाएंगे अर्थात् मतदाता सूची का भाग तथा मतदान केन्द्र का क्षेत्र समरूप (Coterminus) होंगे।
5. यदि एक भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित किया जाना आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में मतदान केन्द्र का पूर्ण विवरण यथा भवन का दाहिना भाग/बॉया भाग/कमरा नं. आदि पूर्ण पहचान अंकित की जाए।
6. मतदान केन्द्र यथा सम्भव सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व सार्वजनिक भवनों में स्थापित किए जाए। किन्तु यदि किन्हीं कारणों से निजी भवन में कोई मतदान केन्द्र स्थापित करना पड़े तो ऐसे व्यक्ति या संस्था के मकान में मतदान केन्द्र स्थापित नहीं किये जाएँ, जो किसी राजनीतिक दल अथवा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार से संबद्ध हो। चूंकि मतदान केन्द्रों का चयन चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार होने से काफी पहले ही कर लिया जायेगा, इसलिए तत्समय यदि चयनित मतदान केन्द्र किसी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार से किसी भी रूप में संबंधित पाया जाता है, तो उसे **आयोग की सहमति प्राप्त कर तुरन्त परिवर्तित किया जाये।**
7. मतदान केन्द्र पक्के भवनों में ही स्थापित किए जाए।
8. किसी धार्मिक महत्व के स्थल, पूजा स्थल, अस्पताल, पुलिस थाना भवन पर मतदान केन्द्र स्थापित नहीं किए जाए।
9. मतदान केन्द्र विद्यालय/महाविद्यालय में स्थापित किए जाने पर इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि मतदान कक्ष विद्यालय/महाविद्यालय का स्टोर या कार्यालय कक्ष नहीं हो। जहां तक संभव हो सके शिक्षण कक्षों को ही मतदान केन्द्र के रूप में काम में लेवें। पिछले आम चुनाव के पश्चात् राज्य एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विद्यालय/महाविद्यालय में नए कक्षों का निर्माण कराया गया है। इन्हें मतदान केन्द्रों के रूप में प्राथमिकता दें।
10. मतदान केन्द्र पर सुस्पष्ट रूप से पीले रंग की पृष्ठभूमि पर काले रंग से **वार्ड/भाग संख्या, मतदान केन्द्र का क्रमांक पेन्ट कराया जाना भी सुनिश्चित करें।**
11. जहां तक संभव हो मतदान केन्द्र उन भवनों में ही स्थापित किए जाने चाहिए जिनके बारे में मतदाताओं को जानकारी हो कि उस स्थान पर मत डाले जाते हैं। इस हेतु विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचनों के लिए जो मतदान केन्द्र निर्धारित किए गए थे यथा संभव उन्हीं स्थानों पर नगरपालिका निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए।
12. मतदान केन्द्रों की स्थापना करते समय यह भी ध्यान रखा जाए कि मतदाता को मत डालने के लिये सामान्यतः दो किलोमीटर से अधिक नहीं चलना पड़े।
13. मतदान केन्द्र पर अधिक भीड़-भाड़ से बचने के लिए यथा संभव एक भवन में चार से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित नहीं किए जाएँ।
14. सामान्यतः एक मतदान केन्द्र में 1400 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् मतदान केन्द्रवार स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि मतदान केन्द्र विशेष में मतदाताओं की संख्या कितनी हैं। यदि किसी मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या 1400 से अधिक हो तो उस मतदान केन्द्र के लिए आयोग की अनुमति से सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किए जा सकते हैं। सहायक मतदान केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र-4 में आयोग को प्रेषित किए जाए। सहायक मतदान केन्द्रों की स्थापना करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखा जाए:-

20/9/

- (i) सहायक मतदान केन्द्र की स्थापना उसी भवन में की जाए जहां मूल मतदान केन्द्र स्थापित हो।
 - (ii) सहायक मतदान केन्द्र में सम्मिलित होने वाले क्षेत्र/परिक्षेत्र को संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाए अर्थात् मतदान केन्द्र विशेष की मतदाता सूची के अनुसार लगभग आधे-आधे मतदाता एवं उनका सम्पूर्ण क्षेत्र/परिक्षेत्र सम्मिलित हो।
 - (iii) सहायक मतदान केन्द्रों की स्थापना से पूर्व संसाधनों यथा जगह, मतदान दलों हेतु कार्मिक, पुलिस बल आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए।
15. मतदाता सूची का भाग संख्या तथा मतदान केन्द्र की संख्या समरूप होनी चाहिए। मतदाता सूचियों का प्रारूप/अंतिम प्रकाशन मुद्रित प्रतियों से होने के कारण मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम भी मतदाता सूचियों के साथ ही मुद्रित होंगे। यह संभव है कि आप द्वारा चयनित मतदान केन्द्रों में मतदाता सूचियों के प्रारूप/अंतिम प्रकाशन के पश्चात कोई परिवर्तन हो जाये तो ऐसी स्थिति में आप मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की मुद्रित प्रतियों में मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम में शुद्धि हेतु रबड की मोहर का प्रयोग कर सकते हैं। मतदान केन्द्र/सहायक मतदान केन्द्रों के स्थान में इस प्रकार किये जाने वाले परिवर्तन से पूर्व प्रत्येक मामले में राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति आवश्यक होगी।
 16. एक मतदान केन्द्र में केवल एक ही वार्ड के मतदाता मत डाल सकते हैं। एक वार्ड में एक से अधिक मतदान केन्द्र हो सकते हैं लेकिन एक मतदान केन्द्र में एक से अधिक वार्ड का क्षेत्र नहीं हो सकता, क्योंकि नगरपालिका चुनावों में वार्ड ही निर्वाचन क्षेत्र है। इससे स्पष्ट हैं कि किसी मतदान केन्द्र में उससे संबंधित भाग के निर्वाचक ही मत डाल सकते हैं।
 17. मतदान केन्द्र के भवन का चयन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि वहां मतदाताओं के प्रवेश एवं निकासी के लिये पर्याप्त स्थान हो। जहां तक संभव हो मतदान केन्द्र के रूप में ऐसे भवनों का चयन किया जाना चाहिए जिसमें कमरों में प्रवेश एवं निकास के लिए पृथक-पृथक दरवाजे हो। साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि मतदान कक्ष में हवा एवं रोशनी की पर्याप्त सुविधा हो।
 18. राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 27 में प्रावधान है कि चयनित मतदान केन्द्रों एवं उनमें समाविष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की एक सूची जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रकाशित की जायेगी, चूंकि नियमों में यह विनिर्दिष्ट नहीं है कि सूची का प्रकाशन कब किया जावेगा, अतः आयोग निर्देश देता है कि उपरोक्त सूची का प्रकाशन अभ्यर्थिता वापिस लेने के अगले दिन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रकाशित सूची की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, एक-एक प्रति रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तथा नगरपालिका के नोटिस बोर्ड पर तथा संबंधित वार्ड के कम से कम दो प्रमुख सहजदृश्य स्थानों पर प्रदर्शित की जायेगी। उक्त सूची को संबंधित जिला कलक्टर अपनी जिला वेब-साइट पर भी प्रदर्शित करेंगे।
 19. मतदान केन्द्रों की सूची का व्यापक प्रचार-प्रसार स्थानीय समाचार-पत्रों के माध्यम से कराया जायें।
 20. मतदान केन्द्रों की सूची के प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को सूची की दो प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेंगी।

४०३

21. नगरपालिकावार मतदान केन्द्रों की सूची संलग्न प्रपत्र-1 में एवं मतदान केन्द्रों का विवरण संलग्न प्रपत्र-2 में तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया जाए।
22. प्रत्येक आम/उपचुनाव से पूर्व चयनित मतदान केन्द्र का भौतिक सत्यापन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से करवाया जाए तथा यह देखा जाए कि मतदान केन्द्र भवन की ईमारत जर्जर अवस्था में तो नहीं हैं, उक्त भवन में निशक्तजन हेतु स्थाई रैम्प हैं अथवा नहीं। यदि स्थाई रैम्प मतदान केन्द्र में नहीं बना हुआ है तो अस्थाई रैम्प की व्यवस्था की जावे। यह भी देखा जाये मतदान केन्द्र मतदान हेतु पूर्ण सुरक्षित हैं अथवा नहीं यथा चारदीवारी बनी हुई है। मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन का कार्य निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन से पूर्व ही पूर्ण कर लिया जाए। मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट संलग्न प्रारूप-प्रपत्र-3 में तैयार कर मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की दिनांक को ही आयोग को प्रेषित की जाए।
23. मतदान केन्द्र की सूची के प्रकाशन के पश्चात् यदि किसी भी कारण से मतदान केन्द्र को परिवर्तित किया जाना आवश्यक हो तो आयोग की अनुमति के पश्चात् ही मतदान केन्द्र परिवर्तित किए जायें। इस हेतु संलग्न प्रपत्र-5 में नवीन मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव अनुमोदन हेतु आयोग को प्रेषित किए जाए।

आज्ञा से,

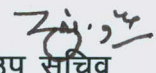

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक : 18/4/19

क्रमांक: एफ4(3)(1)न.पा./रा.नि.आ./09/1349-53

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. निजी सहायक, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
5. कम्प्यूटर शाखा को समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई-मेल करने तथा आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. लेखा/स्टोर/सांख्यिकी शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।


उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रपत्र - 1

मतदान केन्द्रों की सूची

नगरपालिका / परिषद / निगम का नाम :

क. सं.	मतदान केन्द्र का विवरण (स्थान, भवन आदि)	वार्ड संख्यांक	मतदाता सूची का भाग संख्यांक	मतदाताओं की संख्या	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)
(कलक्टर)

प्रपत्र - 2

नगरपालिका के मतदान केन्द्रों का विवरण

जिला

क.सं.	नगरपालिका / परिषद / निगम का नाम	वार्डों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)
(कलक्टर)

प्रपत्र-3
मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट

जिले का नाम

नगरपालिका का नाम

विधानसभा क्षेत्र का नाम

विधानसभा क्षेत्र की संख्या

क्र. सं.	मतदान केन्द्र का स्थान	भवन का नाम एवं पता	भवन की विशिष्टियां (सरकारी/ अर्द्धसरकारी/ प्राईवेट)	मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या	मतदान केन्द्र की भौतिक स्थिति यथा भवन की स्थिति	मतदान केन्द्र का क्षेत्रफल	क्या भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र हैं। यदि हां तो संख्या लिखें	मतदान केन्द्र तक पहुंचने हेतु रोड की स्थिति (मतदान केन्द्र तक चलकर पहुंचने हेतु कितनी दूरी तय करनी होगी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

क्या मतदान केन्द्र में निम्न सुविधाएं उपलब्ध हैं							क्या भवन के चारों ओर दीवारें हैं	क्या विद्युत कनेक्शन उपलब्ध हैं	क्या छत का पंखा लगा हुआ एवं चालू स्थिति में हैं	खिड़कियां/ दरवाजें टूटे हुए हैं या ठीक स्थिति में हैं	रैम्प स्थाई हैं अथवा अस्थायी	टिप्पणी
पेयजल	शौचालय/ मुत्रालय	रोड	हवा एवं प्रकाश की स्थिति	फर्नीचर	प्रवेश एवं निकास हेतु पृथक दरवाजें	स्त्री/पुरुष मतदाता हेतु पृथक-पृथक लाईन हेतु स्थान उपलब्ध हैं या नहीं	17	18	19	20	21	22
10	11	12	13	14	15	16						

प्रपत्र - 4

सहायक मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु प्रारूप

क. सं.	वार्ड संख्यांक	मुख्य मतदान केन्द्र का विवरण (क्रमांक, नाम एवं पता)	मतदाताओं की कुल संख्या	प्रस्तावित सहायक मतदान केन्द्र का विवरण	सहायक मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या	मुख्य मतदान केन्द्र पर शेष रहे मतदाताओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)
(कलक्टर)

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), द्वारा प्रेषित उक्तानुसार सहायक
मतदान केन्द्र / केन्द्रों का अनुमोदन किया जाता है।

आज्ञा से,

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

प्रपत्र - 5

मतदान केन्द्रों की सूची के प्रकाशन के पश्चात् उनमें परिवर्तन हेतु प्रस्ताव का प्रारूप

क. सं.	वार्ड संख्यांक	मतदान केन्द्र का विवरण (क्रमांक, नाम एवं पता)	मतदाताओं की कुल संख्या	प्रस्तावित मतदान केन्द्र का विवरण (क्रमांक, नाम एवं पता)	मतदान केन्द्र में परिवर्तन का कारण
1	2	3	4	5	6

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)
(कलक्टर)

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), द्वारा प्रेषित उक्तानुसार परिवर्तित मतदान केन्द्र/केन्द्रों का अनुमोदन किया जाता है।

आज्ञा से,

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर